

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013..... / परि०

पटना, दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-437 दिनांक-24.12.2014 द्वारा की गई स्थानीय व्यवस्था तथा अनुशंसा के आलोक में श्री सत्य नारायण मंडल, बि०प्र०से०, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 29/01/2015

निबंधित/ई-मेल

ज्ञापांक - 05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013 557

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ/श्री सत्य नारायण मंडल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज/मोटरयान निरीक्षक, किशनगंज/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग/प्रभारी सहायक स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/15

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना